

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा:- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक-२५/०७/२०२५

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

विषय:- इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में उपबंधित सहायक अनुदान-वेतन की राशि रु० ५,५०,००,००,०००/- (रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु रु० १,८१,५०,००,०००/- (रुपये एक अरब इक्यासी करोड़ पचास लाख) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना की स्थापना राज्य में अतिविशिष्ट विषयो में उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सतत शिक्षा के विकास करने एवं चिकित्सा शास्त्र विषयों के क्षेत्र में सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त बिहार अधिनियम संख्या १०,१९८४ द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा संस्थान में सस्ते दर पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के स्थापना व्यय का वहन करने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से सहायक अनुदान देने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। संस्थान में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोला गया है और इसमें पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। साथ ही, यहाँ स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट खोला गया है और इन सभी में कई चिकित्सको/चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। पूर्व वर्षों की भाँति इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय के वहन हेतु वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में रु० ५,५०,००,००,०००/- (रुपये पाँच अरब पचास करोड़) में से प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु रु० १,८१,५०,००,०००/- (रुपये एक अरब इक्यासी करोड़ पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(२) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-२५६१/वि०(२), दिनांक-१७.०४.१९९८, २८८०/वि०(२), दिनांक-०६.०५.२००६, २९३८/वि०(२), दिनांक-०८.०४.२००८, ३७५८/वि०, दिनांक-३१.०५.२०१७, ४४४३/वि०, दिनांक-१४.०६.२०१८ एवं १२८८८/वि०, दिनांक-०३.१२.२०२४ के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(३) इस राशि के व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या-२०, मुख्य शीर्ष-२२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-०५-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-१०५-एलोपैथी-००१७-इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, विपत्र कोड-२०-२२१००५१०५००१७ के अन्तर्गत इस निमित्त विषय शीर्ष कोड ००१७-३१-०४ सहायक अनुदान-वेतन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

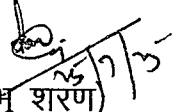
(४) इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना एक स्वशासी संस्थान है, अतएव इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अपर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

(5) अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PBBPLA003 विपत्र कोड-00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-11798 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

(6) राज्यादेश में वित्त विभाग द्वारा सशर्त सहमति निम्नरूपेण प्राप्त है:-

- (क) 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित लंबित सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन अगले तीन माह में महालेखाकार से करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (ख) प्रशासी विभाग संतुष्ट हो ले कि कर्मियों के वेतनादि/पेशनादि का भुगतान पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
 - (ग) राशि की निकासी एवं व्यय बजटीय उपबंध के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों के आलोक में किया जाय।
- (7) राज्यादेश में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
- (8) इसमें महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- (9) इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-7/एम०सी०एच०-35-29/2021- 167(7) /स्वा0, पटना, दिनांक-25/07/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

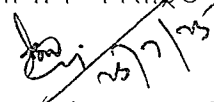
प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव